

8. प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-578/जी0एच0/जोन-1/जी0एच0/12-13 दिनांक 08.10.2013 तथा संशोधित मानचित्र संख्या-378/जी0एम0पी0/जोन-1/14-15 दिनांक 07.10.2014 के अंकित प्राविधान/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
9. पार्किंग हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल/एरिया का उपयोग पार्किंग के रूप में सुनिश्चित किया जायेगा। 10% पार्किंग आगन्तुकों के लिए आरक्षित की जायेगी।
10. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों स्टक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा तथा दुर्घटनाओं की क्षति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर होने एवं नॉन टॉवर (एसटेंडिड बेसमेन्ट) का कार्य पूर्ण न होने के कारण स्थल की सही मापें लिया जाना सम्भव नहीं है सम्पूर्ण परिसर के निर्माणोपरान्त पुनः मापों का स्थलीय सत्यापन आवश्यक होगा तथा प्रस्तुत मापें तथा वास्तविद मापों में परिवर्तन पाये जाने पर संशोधित शमन कराना अनिवार्य होगा।
13. ई0डी0सी0 व सी0डी0सी0 की किस्तों के रूप में देय शुल्क समयानुसार जमा कराना होगा।
14. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हैक्टेयर सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति है, के अनुसार लगाने होंगे।
15. शासनादेशानुसार प्रस्तावित 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 व 10 प्रतिशत एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. निर्माण के समय यथासम्भव सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
17. कुल निर्माण लागत की आंकलित धनराशि का 1% प्रतिशत धनराशि लेबर सेस के रूप में यू0पी0 बिल्डिंग एण्ड अदर्स कन्सं0 वर्क्स वेलफेयर बोर्ड के खाते में जमा कराने होंगे। तदोपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
18. मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।।

सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-1